

प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट

फोन/फैक्स नं०- 01375-224233 E-Mail dfobarkot@gmail.com वन मित्र कॉल सेंटर-9208008000

पत्रांक- 2615 / 12-1 दिनांक, बड़कोट, 28, फरवरी / 2025

सेवा में,

अधिशारी अभियन्ता,
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
बड़कोट।

विषय:- जनपद उत्तरकाशी में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 123 (507) थाथरी खड्ड से मुराड़ी गांव के पूर्व निर्मित मोटर मार्ग के कि०मी० 75.00 से 101.00 तक के भाग का दो लेन चौड़ीकरण हेतु 31.86 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु एन०एच०ए०आई० (पी०आई०यू०, देहरादून) को प्रत्यावर्तन किये जाने के संबंध में (Online No. FP/UK/ROAD/19158/2018)।

संदर्भ:- आपके कार्यालय का पत्रांक-198/04भू०अ०रा०मा०-123 (507) दिनांक 18.02.2025।

महोदय,

उपरोक्त आपके संदर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिसमें आपके द्वारा विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक 17.02.2025 के क्रम में क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना, एन०पी०वी०, Wild Life Mitigation and SMC Plan हेतु धनराशि के डिमाण्ड हेतु इस कार्यालय को लिखा गया था। उक्त के क्रम में सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लेखित शर्त संख्या-2(क) व 5(क) के अनुसार जमा की जाने वाली धनराशि का मांग पत्र निर्धारित प्रपत्र में इस आशय से संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है कि मांग के अनुसार धनराशि कैम्पा कोष में जमा कर जमा की गई धनराशि के चालान की प्रमाणित छाया प्रति एवं उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों की अनुपालन आख्या मय प्रमाण पत्रों की तीन प्रतियों सहित इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि शर्तों की अनुपालन आख्या इस कार्यालय से उच्चस्तर को ससमय प्रेषित की जा सके।

यह भी अवगत कराना है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लेखित शर्त संख्या 13 के अनुपालन हेतु Wild Life Management Plan एवं Soil & Moisture Conservation Plan सक्षम स्तर से स्वीकृत कराने के फलस्वरूप उक्त प्लान हेतु आवश्यक धनराशि जमा करने के संबंध में आपको पृथक से अवगत कराया जायेगा।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(रविन्द्र पुण्डरीर)

प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को उक्त के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित -

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

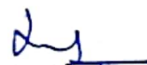
(रविन्द्र पुण्डरीर)

प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।

जनपद उत्तरकाशी में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 123 (507) थाथरी खड्ड से मुराड़ी गांव के पूर्व निर्मित मोटर मार्ग के कि०मी० 75.00 से 101.00 तक के भाग का दो लेन चौड़ीकरण हेतु 31.86 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु एन०एच०ए०आई० (पी०आई०यू०, देहरादून) को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लेखित शर्तों के अन्तर्गत प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा जमा की जाने वाली धनराशि का मांग पत्र।
अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट।

क्र० सं०	योजना का नाम	हस्तान्तरित की जाने वाली वन भूमि का क्षेत्रफल (हे०) में	ईको क्लास श्रेणी	हरियाली का घनत्व	मद का विवरण	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का क्षेत्रफल हे० में	भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के आदेश सं० 5-3/2011-FC(VOL-I) दिनांक 06.01.2022 (N.P.V. दर प्रति हे०) तथा दर प्रति हे० (प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक-1459/3-5-2, दिनांक 01.07.2021 के सन्दर्भ में प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी के कार्यालय पत्रांक 1510/12-1 दिनांक 26.11.2024 के अनुसार वसूली वर्ष 2024-25 हेतु निर्धारित दर।	जमा की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जनपद उत्तरकाशी में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 123 (507) थाथरी खड्ड से मुराड़ी गांव के पूर्व निर्मित मोटर मार्ग के कि०मी० 75.00 से 101.00 तक के भाग का दो लेन चौड़ीकरण हेतु 31.86 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु एन०एच०ए०आई० (पी०आई०यू०, देहरादून) को प्रत्यावर्तन	31.86	5	0.5	1-एन०पी०वी० की धनराशि 2- क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों के रख रखाव हेतु धनराशि	31.86 63.72	1292850 प्रति हे० 493670 प्रति हे०	4,11,90,201.00 3,14,56,652.00
	कुल योग				रु० सात करोड छब्बीस लाख छियालीस हजार आठ सौ त्रेपन रु०			7,26,46,853.00

नोट- उक्त धनराशि वसूली वर्ष 2024-25 के अनुसार मांगी गई है। यदि आपके द्वारा इस वित्तीय वर्ष में उक्त धनराशि जमा नहीं कराई जाती है तो जिस वित्तीय वर्ष में जमा कराई जायेगी उसी वसूली वर्ष के अनुसार धनराशि जमा करनी होगी।


 (रविन्द्र पुण्डरीर)
 प्रभागीय वनाधिकारी,
 अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट।